

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र चलाहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय में नम से ही किया जावे ज
के फिरी जब घटाइकारी के नम से।
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र कामक हरं दिनाक
अवश्य सिखा जावे विसर्ग सुनिध हो।



प्राप्त : यज्ञीवाली
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बन्धता/2009/ 4539

दिनांक: 13/10/2012

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बन्ध जे.डी.एस. महाविद्यालय, अदबपुर, मुरेना (09009670247) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. प्रथम रर्ज, (आ.पा. फ़िल्डी जाहिन, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास), बी.एस.-टी.ए. प्रथम रर्ज, बी.सी.ए. प्रथम रर्ज, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएं प्रदान करने के लिये जारीकी कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत विभागिता विनियोग समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. डी.एन. गोरायानी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442842)

(2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालीन विकास परिषद, जी.वि.वि., ग्वालियर।


(3) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबन्धन अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. एस.डी. सिसौदिया, उपाचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

नियोजित के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियोजन कर शुल्क, धरणेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुशंसा/अनापत्ति प्राप्ताण-पत्र, भवन, छात्र विद्यार्थी एवं पाठ्यक्रम/आर्टिकेल्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति अवधि प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएं अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अशैक्षणिक सुविधा पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विनियोग समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विनियोग करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधायित समय में नियोजन करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। नियोजन प्रतिवेदन बनाकर बनाकर का उत्तरदायित्व विनियोजन समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विनियोग में की गई देरी के लिये महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल की शेज वी जारीगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में नियोजन बहीं करता है तो समिति खत: विस्तृत हो जाएगी और पुनः नियोजन समिति गठन हेतु महाविद्यालय को वार्ष स्वल्प रु. 15,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही नियोजन समिति का पुरुर्जन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विवा छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

नियोजन समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यसंत अधीक्षक / कार्यालय दृष्टिकोण पञ्चाली लेकर जारीजे तथा महाविद्यालय की वस्तुविषयों से विनियोग समिति को अवगत करायें। नियोजन समिति के सदस्यों को दी.ए. / छी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक द्वारा संपर्क स्थापित कर विनियोग दिनांक लियारित कर महाविद्यालय का नियोजन करायें। उक्त नियोजन 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सरतुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के बिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


महान्तेश्वर कुलसचिव (खम्बन्धता)